

उत्तराखण्ड शासन  
ग्राम्य विकास अनुभाग-1  
संख्या: /XI(1)/2020/53(22)2019  
देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर, 2020

### विज्ञप्ति / पदोन्नति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पदोन्नति के परिणामस्वरूप चयनित निम्नलिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 15600—39100 ग्रेड पे—5400 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 56100—177500 लेवल 10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती निम्न तालिका में उल्लिखित उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में की जाती है। विकास खण्डों में तैनाती स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा की जायेगी:—

क्र०सं०	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1.	श्री नारायण सिंह बोरा	चम्पावत	अल्मोड़ा
2.	श्री खीमानन्द बुडलाकोटी	अल्मोड़ा	ऊधमसिंहनगर
3.	श्री किशन सिंह बोरा	नैनीताल	अल्मोड़ा
4.	श्री ईश्वरी सिंह भण्डारी	हरिद्वार	हरिद्वार
5.	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
6.	श्री रमेश कुमार आर्य	बागेश्वर	नैनीताल
7.	श्री सत्येन्द्र सिंह धमान्दा	हरिद्वार	हरिद्वार
8.	श्री भगवान सिंह नेगी प्रथम	हरिद्वार	हरिद्वार
9.	श्री दिनेश चन्द्र चमोला	टिहरी	टिहरी
10.	श्रीमती संतोष रौतेला	हरिद्वार	हरिद्वार
11.	श्री आशाराम पंत	पौड़ी	चमोली
12.	श्री अनसूया प्रसाद वैष्णव	हरिद्वार	हरिद्वार
13.	श्री सुन्दर सिंह नेगी	पौड़ी	टिहरी
14.	श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	टिहरी	टिहरी
15.	श्री अमर सिंह	पौड़ी	देहरादून
16.	श्री महावीर सिंह	पौड़ी	चमोली
17.	श्री यशपाल सिंह टम्टा	रुद्रप्रयाग	पौड़ी
18.	श्री श्रीपतिलाल	रुद्रप्रयाग	चमोली
19.	श्री बृजमोहन गुरुरानी	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
20.	श्री दुर्गा राम लोहिया	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा
21.	श्री त्रिलोक सिंह रावत	रुद्रप्रयाग	पौड़ी

2. उक्त पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद में योगदान करने के उपरान्त कार्यभार प्रमाणक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मनीषा पंवार)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-५३(२२)/XI/19/53(22)2019 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-78/18/ई0-1/डी0पी0सी0 /2019-20 दिनांक-04 अगरत, 2020 के कम में सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय लीथो प्रैस, रुडकी को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(चौदहरी राज सिंह)  
अपर सचिव।